विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 8 अगस्त, 2007 को पूर्वाहन 10.30 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की सोलहवीं (16वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 08 अगस्त, 2007 को पूर्वाहन 10.30 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट)।

अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 362 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 136 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने सूचित किया कि इन अधिसूचित एसईजेड में 45377 करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश किया गया है और यह कि ये एसईजेड 38405 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहे हैं, जो 12 जुलाई 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के दौरान सूचित 35053 की तुलना में अधिक है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि वर्ष के अंत तक इन नए एसईजेड में करोड़ रुपए में निवेश और अतिरिक्त रोजगार दोनों की दृष्टि से आंकड़े 100000 के अंक को छू लेंगे। उन्होंने बताया कि भारी संख्या में प्रस्ताव राज्य सरकारों से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनसे दो माह की अवधि के अंदर अपनी सिफारिश / राय भेजने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद चर्चा के लिए बैठक का एजेंडा लिया गया।

मुख्य एजेंडा

मद संख्या 1 : बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार ने सूचित किया कि उनकी सूचना के अनुसार भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है और भूमि प्रयोग भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि प्रस्ताव आस्थगित किया जा सकता है। राज्य सरकार के अनुरोध पर प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित किया गया।

मद संख्या 2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में नोकिया टेलीकॉम एसईजेड में सह विकासक के लिए नोकिया टेलीकॉम एसईजेड पार्क सोसाइटी का अनुरोध

विकासक के प्रतिनिधि ने संक्षिप्त प्रस्तुति दी जिसमें उन्होंने सूचित किया कि सह विकासक के रूप में नोकिया टेलीकाम एसईजेड पार्क सोसाइटी साझे उपयोग की सुविधाओं के प्रचालन, प्रशासन और अनुरक्षण के लिए रेजीडेंट यूनिटों के लिए प्लेटफार्म प्रदान करेगी और परस्पर संबंध आधार पर सेवाएं साझा करेगी। उन्होंने बताया कि यह स्वतंत्र "लाभ के लिए नहीं" संस्था होगी जिसे सभी रेजीडेंट

यूनिटों द्‌वारा नोकिया टेलीकॉम एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर अपने कल्याण के लिए गठित किया गया है।

नोट किया गया कि यह स्वाभाविक प्रस्तावों के समान नहीं है जिसमें कोई कंपनी या संस्था किसी एसईजेड में सह विकासक होती है। वस्तुत: यह रेजीडेंट यूनिटों की सोसाइटी है जिसे नोकिया टेलीकाम एसईजेड में प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए गठित करने का प्रस्ताव है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने नोट किया कि यह सोसाइटी सह विकासक के लिए निर्धारित निवल मूल्य की कसौटी का पालन नहीं करती है।

विचार विमर्श के बाद यह नोट करते हुए कि इस सोसाइटी के सदस्य नोकिया और उसकी वेंडर कंपनियां हैं जो वित्तीय दृष्टि से मजबूत हैं, अनुमोदन बोर्ड ने श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में नोकिया टेलीकाम एसईजेड में सह विकासक के लिए नोकिया टेलीकाम एसईजेड पार्क सोसाइटी के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि केवल विकासक तथा नोकिया एसईजेड के अंदर स्थापित यूनिटें इसका सदस्य होंगी और सह विकासक के रूप में अनुमोदित सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए किसी बाहरी को अनुमति नहीं होगी।

(ii) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स टॉपनोच इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्‌वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टॉपनोच प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक कंपनी और विकासक कंपनी का प्रमोटर मैसर्स नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड है जिसका निवल मूल्य 256.72 करोड़ रुपए है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स टॉपनोच इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्‌वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टॉपनोच प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iii) श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में सिपकॉट द्‌वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकॉम हार्डवेयर एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टैप सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कंपनी के वित्तीय ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iv) मुंद्रा, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्‌वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमपीएसईजेड यूटिलीटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सदस्य, सीबीईसी ने समुक्ति की कि मुंद्रा से संबंधित पोर्ट के मुद्दों का समाधान होने तक प्रस्ताव आस्थगित किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, मुंद्रा, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए एमपीएसईजेड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 3 : मौजूदा एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) मंगलौर, कर्नाटक में हाईटेक इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार ने पुष्टि की कि भूमि पर विकासक का कब्जा है और एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मंगलौर, कर्नाटक में हाईटेक इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल 175 हेक्टेयर से बढ़ाकर 259.64 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ii) बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए रिलायंस जामनगर इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने सूचित किया कि केवल 540 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है जो खाली पड़ी है तथा संस्पर्शी है। राज्य सरकार ने अतिरिक्त भूमि शामिल करके एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश भी की। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बहु उत्पाद एसईजेड का क्षेत्रफल 1224.10 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1764.10 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स रिलायंस जामनगर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iii) चंडीगढ़ में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित एसईजेड की पुन: अधिसूचना के लिए मैसर्स चंडीगढ़ प्रशासन का अनुरोध

निदेशक, चंडीगढ़ प्रशासन ने अनुरोध किया कि चरण 1 में उनके एसईजेड जो अधिसूचित हो चुका है, का क्षेत्रफल एसईजेड के रूप में इनफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अधीन क्षेत्रफल (केवल 12.22 हेक्टेयर) के साथ पुन: अधिसूचित किया जा सकता है तथा शेष क्षेत्र को एसईजेड से विमुक्त किया जा सकता है। इस सिलसिले में विकासक ने सूचित किया कि इनफोसिस टेक्नोलॉजीज को छोड़कर किसी अन्य यूटि ने प्रचालन शुरू नहीं किया है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि केवल इनफोसिस टेक्नोलॉजीज ने ड्यूटी छूट प्राप्त की है तथा किसी अन्य यूनिट ने इन लाभों को प्राप्त नहीं किया है।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने चंडीगढ़ में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्र में 12.22 हेक्टेयर की कटौती के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iv) आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स लक्सर साइबर सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

हरियाणा सरकार ने पुष्टि की कि भूमि पर विकासक का कब्जा है और एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के प्रस्ताव की सिफारिश की। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सिकोहपुर, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एसईजेड का क्षेत्रफल 27.0785 हेक्टेयर से बढ़ाकर 34.9825 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स लक्सर साइबर सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(v) भद्रावती, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए एमआईडीसी का अनुरोध

चर्चा के बाद अनुमोदन बोर्ड ने भद्रावती, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल 1100 हेक्टेयर से घटाकर 637.48 हेक्टेयर करने के लिए एमआईडीसी के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 4 : नंदनगांवपेठ, अमरावती, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में सन्निकटता की शर्त में छुट प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

विकासक ने सूचित किया है कि 1 किलोमीटर की पीडब्ल्यूडी रोड एसईजेड से गुजर रही है जिसे वे एसईजेड के बाहर स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि चूंकि एसईजेड अधिसूचित नहीं हुआ है और विकासक सड़क के स्थानांतरण और 6 माह के अंदर सन्निकटता स्थापित करने की संभावना की पुष्टि कर रहा है, अधिसूचना के समय इस पहलू पर विचार किया जा सकता है। यह नोट करते हुए कि यदि विकासक सड़क का स्थान बदलने में सफल होगा तो सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं होगा, अनुमोदन बोर्ड ने सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को छोड़ दिया।

मद संख्या 5 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) शेंद्रे फाइव स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स वोकहार्ट लिमिटेड का अनुरोध

कंपनी के प्रतिनिधि ने इन गतिविधियों की मात्रा एवं औचित्य का उल्लेख करते हुए एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के अनुरोध पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इस एसईजेड में लगभग 20000 कर्मचारी काम करेंगे। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड ने निम्नलिखित गतिविधियों / प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

- अधिक से अधिक 10,000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में 950 मकान
- अधिक से अधिक **10,000** वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल में **12**वीं कक्षा तक एक स्कूल
- क्लीनिक सहित 100 बेड का हॉस्पिटल जिसका निर्मित क्षेत्रफल 10000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा
- अधिक से अधिक 10,000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में कार्यालय परिसर
- अधिक से अधिक 20,000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल में शॉपिंग आर्केड और मल्टीप्लेक्स

(ii) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन का अनुरोध

कंपनी के प्रतिनिधि ने इन गतिविधियों की मात्रा एवं औचित्य का उल्लेख करते हुए एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के अनुरोध पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि जब यह एसईजेड पूर्णत: विकसित हो जाएगा तो इसमें लगभग 120000 कर्मचारी काम करेंगे। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड प्रयोक्ताओं के 100 प्रतिशत उपभोग के लिए एसईजेड में निम्नलिखित गतिविधियों / प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

- प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकतम 22200 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र में सेंट्रल फेसिलिटी बिल्डिंग तथा अधिकतम 2300 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र में फायर स्टेशन
- अधिकतम 275000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र में कुल 2082 फ्लैट के साथ विकासक द्वारा प्रदान किए गए प्लान के अनुसार हाउसिंग फेज 1
- अधिकतम 1700000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र में फेज 2 में 10000 मकान
- अधिकतम 11000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र में 10 कमरों वाले 6 डोरमिट्री ब्लाक
- अधिकतम 1000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र में अधिकारियों के लिए 16 कमरे
- गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकतम 25000 वर्गमीटर में 250 बेड वाले अस्पताल के साथ डायग्नोस्टिक सेंटर तथा फार्मेसी / मेडिकल स्टोर

2. अनुमोदन बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर हेल्थ सिटी के निर्माण के लिए विकासक के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा निर्णय लिया कि विकासक इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है जिसे टिप्पणियों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास भेजा जाएगा और फिर उसे अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में लिया जा सकता है।

(iii) मुंद्रा एसईजेड के सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मुंद्रा एसईजेड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क का अनुरोध

गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि टेक्सटाइल पार्क विकासक द्वारा प्रस्तुत नए प्रस्ताव का अंग है जिस पर वाणिज्य विभाग को राज्य सरकार की सिफारिश भेजी जाएगी। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि चूंकि एसईजेड को अभी तक अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए अधिकृत प्रचालन आस्थगित किए जा सकते हैं।

(iv) हाडपसर, पुणे, महाराष्ट्र में सीरम बायो फर्मा पार्क में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने हाडपसर, पुणे, महाराष्ट्र में सीरम बायो फर्मा पार्क में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की:

- 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन
- 10,00,000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में वेयरहाउसिंग की सुविधा
- प्रसंस्करण क्षेत्र में ईंधन के लिए भंडारण टैंक तथा इंटरकनेक्टिंग पाइप
- प्रसंस्करण क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा
- प्रसंस्करण क्षेत्र में एयरकंडिशनिंग और रेफ्रिजरेशन

मद संख्या 6 : विदेशी संस्था को सेवाओं की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स मारूती एक्सपोर्ट्स का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस मुद्दे पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की टिप्पणियां मंगाई जा सकती हैं। तद्नुसार, प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 7 : नोएडा एसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा आवेदन अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स ग्लिट्ज ग्लोबल द्वारा दाखिल की गई अपील

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कंपनी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जा ना चाहिए। तद्नुसार, प्रस्ताव को आस्थगित करने तथा अपना मामला प्रस्तुत करने हेतु अगली बैठक में कंपनी को बुलाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 8 : एसटीपीआई को एसईजेड में परिवर्तित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन का अनुरोध

डीएमआरसी के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि 12 मई 2003 को एसईजेड के अनुमोदन के लिए औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करने के बाद पार्क स्थापित करने पर कार्य शुरू किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान दिसंबर 2003 से मार्च 2005 के बीच इस पार्क में एक आईटी बिल्डिंग का निर्माण किया

गया। इस पार्क में दूसरी बिल्डिंग का निर्माण 2005 के अंत में शुरू किया गया जो पूर्ण होने के कगार पर है। जिन किराएदारों को बिल्डिंग किराए पर दी गई है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है।

2. अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह एसईजेड नियमावली के नियम 5 (3) के तहत शामिल मामलों में से एक है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद यूनिटों के स्टेटस, क्रियाशील यूनिटों द्वारा प्राप्त की गई कर रियायतों आदि के संबंध में विकासक तथा वहां क्रियाशील यूनिटों से और ब्यौरा मंगाने का निर्णय लिया गया, जिसे एसईजेड पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व अग्रेतर जांच के लिए अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को परिचालित किया जा सकता है।

मद संख्या 9 : मंजूरी पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को मुद्दे की जानकारी प्रदान की। उन्होंने सूचित किया कि आयातित स्क्रैप / पुराने एवं प्रयुक्त मशीनरी से रिसाइकल की जाने वाली मदों के विनिर्माण के लिए कांडला एसईजेड में नई यूनिट स्थापित करने के लिए समीर इंडस्ट्रीज जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, को 23 सितंबर 1995 को मंजूरी पत्र प्रदान किया गया था। उन्होंने बताया कि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समेकित सहमति और प्राधिकार प्राप्त न करने के लिए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया है कि यूनिट के आयात जिसमें पीवीसी कोटेड कॉपर केबल शामिल हैं, पर हानिकर अपशिष्ट नियमावली के प्रावधान लागू होते हैं और उनको अपने आयात के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यहां पंजीकरण कराना होगा। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया कि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आपत्ति के आधार पर विकास आयुक्त ने एलओए निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया था। सूचित किया गया कि अनुमोदन समिति द्वारा भी इस मामले पर विचार किया गया जिन्होंने यूनिट के संतोषप्रद निर्यात निष्पादन तथा रोजगार को ध्यान में रखते हुए एलओए के निरसन का समर्थन नहीं किया।

2. चर्चा के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि इस मुद्दे पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की टिप्पणियां मंगाई जा सकती हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि एससीएमसी रिपोर्ट पर विधि एवं न्याय मंत्रालय की टिप्पणियां मंगाई जा सकती हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 10 : हजीरा, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 35 हेक्टेयर शामिल करने और संन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने यह नोट करते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया कि क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

पूरक एजेंडा

मद संख्या 1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

1. ग्राम पोचरम, घाटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 119.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम पोचरम, घाटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 119.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम पोचरम, घाटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 60.93 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम पोचरम, घाटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 60.93 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम शाहबाएज, तालुक अलीबाग, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए वेरीटास इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम शाहबाएज, तालुक अलीबाग, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वेरीटास इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में 1012 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में 1012 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. त्रिवेणी नगर, बडक्कापट्टू, डाकघर सिंगापेरुमल कोली चेंगलपट्टू, चेन्नई, तमिलनाडु में 42.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए ब्लू विजन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

मद संख्या 2 : सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव

1. उत्तर गाजीपुर, दक्षिण 24 परगना (पहले कल्याणी एक्सप्रेसवे), पश्चिम बंगाल में 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए एनफील्ड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 2 का क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उत्तर गाजीपुर, दक्षिण 24 परगना (पहले कल्याणी एक्सप्रेसवे), पश्चिम बंगाल में 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एनफील्ड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. जयपुर, राजस्थान में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए जेनपैक्ट इनफ्रास्ट्रक्चर (जयपुर) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 2 का क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जयपुर, राजस्थान में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जेनपैक्ट इनफ्रास्ट्रक्चर (जयपुर) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 3 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) आईटी / आईटीईएस के लिए इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क एसईजेड, त्रिवेंद्रम में सह विकासक के लिए आईबीएस साफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कंपनी का निवल मूल्य 95.03 करोड़ रुपए है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने आईटी / आईटीईएस के लिए इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क एसईजेड, त्रिवेंद्रम में सह विकासक के लिए आईबीएस साफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ii) हाडपसर, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स सीरम बायो फर्मा पार्क एसईजेड द्‌वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बायोटेक एवं फर्मा एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कंपनी की प्रदत्त पूंजी 10.12 करोड़ रुपए है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने हाडपसर, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स सीरम बायो फर्मा पार्क एसईजेड द्‌वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बायोटेक एवं फर्मा एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 4 : कांचीपुरम, तमिलनाडु में आईटी एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्‌धि के लिए महिंद्रा वर्ल्ड सिटी चेन्नई का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने 7.13 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि शामिल करके एसईजेड का क्षेत्रफल 262.13.8 हेक्टेयर से बढ़ाकर 269.26 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 5 : मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्‌युत की आपूर्ति के लिए एसईजेड में विद्‌युत उत्पादन की क्षमता में वृद्‌धि के लिए मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि पहले चरण में विकासक ने विद्‌युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाकर 2640 मेगावाट और दूसरे चरण में 5040 मेगावाट करने का प्रस्ताव किया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में विद्‌युत उत्पादन की क्षमता 2000 मेगावाट से बढ़ाकर 2640 मेगावाट करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड के अनुरोध को ऐसे मानदंडों के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जो तैयार किए जा रहे हैं तथा निर्धारित किए जाएंगे।

मद संख्या 6 : फाल्टा एसईजेड से कांडला एसईजेड में यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने फाल्टा एसईजेड से कांडला एसईजेड में यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल के अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 7 : एसपीवी के नाम में सैद्धांतिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स क्वेस्ट मशीनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसपीवी कंपनी के निवल मूल्य के संबंध ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 8 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स दिव्यश्री एनएसएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर निम्नलिखित गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

(1) कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं

- 9,290.304 वर्गमीटर (100,000 वर्गफीट) के निर्मित क्षेत्रफल में फूड कोर्ट
- 929.03 वर्गमीटर (10,000 वर्गफीट) के निर्मित क्षेत्रफल में हेल्थ क्लब
- 2,787.092 वर्गमीटर (30,000 वर्गफीट) के निर्मित क्षेत्रफल में बिजनेस सेंटर
- 929.03 वर्गमीटर (10,000 वर्गफीट) के निर्मित क्षेत्रफल में कंवेनियंस स्टोर

(2) 1,858.061 वर्गमीटर (20,000 वर्गफीट) के निर्मित क्षेत्रफल में प्ले ग्राउंड, एंपीथिएटर
(3) 464.52 वर्गमीटर (5,000 वर्गफीट) के निर्मित क्षेत्रफल में ट्रैवल डेस्क
(4) 185.81 वर्गमीटर (2,000 वर्गफीट) के निर्मित क्षेत्रफल में मेडिकल सेंटर
(5) 929.03 वर्गमीटर (10,000 वर्गफीट) के निर्मित क्षेत्रफल में मनोरंजन एवं खेल क्षेत्र
(6) बस बे
(7) बैंक एटीएम और बैंक ब्रांच के लिए स्थान जिसका कुल निर्मित क्षेत्र 929.03 वर्गमीटर (10000 वर्गफीट) से अधिक नहीं होगा।

(ii) अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सीरम बायोफार्मा पार्क का अनुरोध

75000 वर्गफीट के कुल निर्मित क्षेत्र में कार्यालय स्थान / वाणिज्यिक स्थान के निर्माण के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई।

मद संख्या 9 : चारदीवारी तथा अन्य अवसंरचना के निर्माण एवं विकास के साथ यूनिटों के अनुमोदन एवं विकास के लिए मैसर्स ओकहार्ट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक के प्रतिनिधि ने अनुरोध के बारे में संक्षेप में बताया तथा कहा कि उनके एसईजेड के चारों ओर चारदीवारी की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण में 6 से 8 माह का समय लगेगा। विकासक के अनुसार, इससे यूनिटों के अनुमोदन में विलंब होगा जिससे मशीनरी के प्रापण में विलंब होगा और इस प्रकार यूनिटों का प्रचालन शुरू होने में विलंब होगा।

2. विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से परामर्श करके विकास आयुक्त द्वारा इस संबंध में उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है।

पूरक एजेंडा II

मद संख्या 1 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कोलैंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक कंपनी का निवल मूल्य 107.30 करोड़ रुपए है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कोलैंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) पुणे, महाराष्ट्र में डीएलएफ आकृति इंफो पार्क (पुणे) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने पुणे, महाराष्ट्र में डीएलएफ आकृति इंफो पार्क (पुणे) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) एनएमएसईजेड डवलपमेंट कंपनी (पूर्व में सिडको) द्वारा विकसित किए जाने वाले बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों, प्रस्तावित निवेश तथा निवल मूल्य आदि के संबंध में और ब्यौरों की आवश्यकता है। ऐसे ब्यौरे प्राप्त होने तक, अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासकों के प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 2 : नई कंपनी के नाम में अनुमोदन ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन को एसपीवी कंपनी के नाम में हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि संपूर्ण भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने एसपीवी कंपनी अर्थात मैसर्स एसईजेड प्रोजेक्ट लिमिटेड, हरियाणा के नाम में औपचारिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए विकासक के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ii) सोनीपत, हरियाणा में इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन को एसपीवी कंपनी है के नाम में हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि संपूर्ण भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने एसपीवी कंपनी अर्थात मैसर्स कामधेनु एग्रो लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए विकासक के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 3 : मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी एसईजेड जयपुर, राजस्थान की चारदीवारी की फेंसिंग

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा विकास आयुक्त की रिपोर्ट मंगाने का निर्देश दिया जिसे अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

मद संख्या 4 : एसईजेड में सामग्री लाने और बाहर ले जाने के लिए बेल्ट कनवेयर सिस्टम के प्रचालन के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा विकास आयुक्त की रिपोर्ट मंगाने का निर्देश दिया जिसे अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

मद संख्या 5 : एलओए में "बाजार अनुसंधान एवं पब्लिक ओपिनियन पोलिंग सर्विस" को शामिल करने के लिए मैसर्स आरएनबी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने मंजूरी पत्र में "बाजार अनुसंधान एवं पब्लिक ओपिनियन पोलिंग सर्विस" को शामिल करने के लिए मैसर्स आरएनबी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि उक्त गतिविधि के लिए कोई एफडीआई अनुमति नहीं होगी।

अतिरिक्त मद : आईआईएम / आईआईएफटी का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों के लिए भत्तों का नियतन

सदस्य सचिव ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि आईआईएम अहमदाबाद के प्रो. अनुराग अग्रवाल के मामले में पहले यह निर्णय लिया गया था कि अनुमोदन बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए उनकी यात्रा पात्रता एवं दैनिक भत्ता संस्थान कार्य पर यात्रा के लिए उनकी पात्रता के अनुरूप होगा। यह भी सूचित किया गया कि चूंकि उक्त निर्णय प्रो. अग्रवाल के नाम में था और चूंकि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और आईआईएम बंगलौर के प्रो. रूपा चंद को नियुक्त किया है इसलिए पात्रताओं को पुन: नियत करने की आवश्यकता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि आईआईएम / आईआईएफटी से नामित सदस्य की पात्रता संबंधित संस्थान में इनकी पात्रता के अनुरूप होगी।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हो गई।